क्र० 2.00 DPR: 2559 03/11/2020

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता।
संख्या –2064/ छिहत्तर–1–2020–25सम / 2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, लखनऊ : दिनांक 29 अक्टूबर, 2020

विषय :जल जीवन मिशन एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासनादेश संख्या 190 / 76–1–2020–25 सम / 2019 दिनांक 24.01.2020 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियो को जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशो को यथावत अंगीकृत किये जाने एवं जल जीवन मिशन की मार्ग निर्देशिका की भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्धता से अवगत कराते हुये की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– जल जीवन मिशन की दिशा–निर्देशिका के अनुरुप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का पुनर्गठन करते हुये शासनादेश संख्या 95 / 76–1–2020–20 स्वजल / 2010 टी०सी०–अ, दिनांक 21.01.2020 निर्गत किया गया है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन की दिशा–निर्देशिका के अनुरुप जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने हेतु मिशन निदेशक, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति का पुनर्गठन करते हुये शासनादेश संख्या–91 / 76–1–2020–50सम / 2008 टी०सी०– I, दिनांक 20.01.2020 निर्गत किया गया है।

3– जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को नल से जल उपलब्ध कराया जाना है। उक्त के दृष्टिगत मुख्य रूप से निम्न 04 प्रकार के कार्य किये जाने हैं–

(1) पूर्व से निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं, जिनमें शत प्रतिशत कार्यशील नल संयोजन उपलब्ध नही है, में रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत समस्त परिवारों को कार्यशील नल संयोजन प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन परियोजनाओं का कियान्वयन उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है। रेट्रोफिटिंग के कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने हैं। इसके लिये उ0प्र0 जल निगम को वांछित स्वीकृतियां जारी कर दी गयी हैं एवं पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो को अपने दिशा निर्देशन मे उ0प्र0 जल निगम के माध्यम से समयबद्व रूप से पूर्ण कराते हुये चिन्हित सभी ग्रामों में शत प्रतिशत परिवारों को जल संयोजन (FHTC) उपलब्ध कराया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रस्तावित योजनान्तर्गत कोई मजरा छूटने न पाये। समयबद्व रूप से लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा एवं सघन अनुश्रवण स्वयं के स्तर से किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उ0प्र0 जल निगम द्वारा उपलब्ध कराई गयी जनपदवार रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं एवं प्रस्तावित FHTC की संख्या सम्बन्धी सूचना राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बेव साइट www.swsmup.org पर उपलब्ध है।

–2/

(2) पूर्व निर्मित ऐसी योजनाये जिन्हें रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत पूर्ण रूप से कार्यशील करना एवं शत प्रतिशत FHTC उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है, को पुर्नगठित किये जाने की आवश्यकता उ0प्र0 जल निगम द्वारा बताई गई है। ऐसी योजनाओं की जनपदवार संख्या का विवरण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बेव साइट www.swsmup.org पर उपलब्ध है। इन योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों को तथा रेट्रोफिटिंग के लिए छूटे हुए ग्रामों का चिन्हींकरण कराते हुये जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाये।

(3) वर्तमान में संचालित/निर्माणाधीन योजनाओं से आच्छादित एवं अनाच्छादित ग्रामों की सूची ejalshakti.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त समस्त ग्रामों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किये जाने का कार्य समयबद्व रूप से पूर्ण कराते हुये हर घर को नल से जल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

जल निगम की जो योजनायें वर्तमान में निर्माणाधीन हैं, उनमें कृपया सुनिश्चित किया जाए कि समयबद्ध रूप से योजनायें पूर्ण हों और कार्य की गुणवत्ता अच्छी हो।

(4) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर को नल से जल उपलब्ध कराये जाने के लक्ष्य के दृष्टिगत यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि रेट्रोफिटिंग, योजनाओं के पुनर्गठन एवं अनाच्छादितं ग्रामों हेतु नवीन योजनाओं के अन्तर्गत कोई भी ग्राम/मजरा आच्छादन से छूटने न पाये और शतप्रतिशत घरों को कनेक्शन उपलब्ध कराये जाएं।

4– उ0प्र0 जल निगम द्वारा रेट्रोफिटिंग का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है एवं योजनाओं के पुनर्गठन तथा नवीन योजनाओं के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कान्ट्रैक्टर्स के सूचीबद्व किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। सूचीबद्व कान्ट्रैक्टर्स की सूचना पृथक से जारी की जायेगी। सूचीबद्व कान्ट्रैक्टर्स द्वारा योजनाओं के पुनर्गठन एवं अवशेष ग्रामों के लिये नवीन योजनाओं के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार की जायेगी। रू0 दो करोड़ तक की लागत की योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को पूर्व में प्रतिनिधानित किया जा चुका है।

5– जो ग्राम अभी तक किसी भी योजना से आच्छादित नहीं हैं, उन सभी ग्रामों को समयबद्ध रूप से योजनाओं से आच्छादित किया जाना है। तत्प्रयोजनार्थ निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

1. सूचीबद्व निर्माण एजेंसियों द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु ग्रामों की सूची प्राप्त करते हुए 45 दिन के अन्दर डी0पी0आर0 तैयार किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तत्पश्चात जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा रू0 2.00 करोड़ तक लागत के डी0पी0आर0 का परीक्षण करके योजनाओं की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
2. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा रू0 2.00 करोड़ तक लागत के समस्त डी0पी0आर0 की सूची एवं निर्धारित प्रारूप पर सूचना 15 दिन के अन्दर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराए जायेंगे। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा रू0 2.00 करोड़ तक लागत के कतिपय डी0पी0आर0 नमूना परीक्षण हेतु प्राप्त करते हुए राज्य स्तर पर तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा।

–3/

3. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विभिन्न जनपदों से रू0 2.00 करोड़ तक लागत की विभिन्न योजनाओं की सूची का परीक्षण करते हुए वित्तीय उपलब्धता के आधार पर निर्मित होने वाली पाइप पेयजल योजनाओं की सूची पर निर्णय हेतु राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0एस0सी0) की बैठक मे प्रस्तुत किया जाएगा।
4. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा रू0 2.00 करोड़ से अधिक लागत के समस्त डी0पी0आर0 15 दिन के अन्दर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, जिसका राज्य स्तर पर गठित स्टेट टेक्नीकल एजेंसी (एस0टी0ए0) द्वारा परीक्षण करते हुए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात उक्त योजनाओं की स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस0एल0 एस0एस0सी0) की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
5. राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0एस0सी0) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा रू0 2.00 करोड़ से कम एवं रू0 2.00 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न योजनाओं के निर्माण हेतु अनुमति पत्र जारी किया जाएगा।
6. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमति पत्र निर्गत किए जाने के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण हेतु जल जीवन मिशन की दिशा-निर्देशिका के अनुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम पंचायत अथवा समिति, निर्माण एजेंसी व इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
7. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति, गुणवत्ता नियन्त्रण, प्रगति अनुश्रवण एवं संचालित वेबसाइट पर प्रगति का आनलाइन अपडेशन आदि के सम्बन्ध में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के दिशा निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
8. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों एवं प्रकिया का अनुपालन किया जायेगा।

6-- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने हेतु विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

7-- योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन की व्यवस्था है एवं पी0एफ0एम0एस0 आधारित प्रत्येक भुगतान से पूर्व थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन अनिवार्य है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा मण्डल-वार थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी चयन किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। सूचीबद्ध मण्डल-वार थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी की सूचना पृथक से दी जायेगी।

8-- उपरोक्त प्रस्तर 3(2) एवं 3(3) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों एवं विन्ध्य क्षेत्र के 02 जनपदों पर लागू नही है, क्योंकि इन जनपदों के संतृप्तीकरण हेतु पूर्व में ही योजनायें स्वीकृत की जा चुकी है।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

-4/

संख्या /छिहत्तर-1-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 मन्त्री जी, जलशक्ति विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
(2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
(3) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
(4) विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
(7) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।